पिछले छः वर्षों के दौरान प्रबंध शिक्षा में इन अर्थों में भारी उन्नति हुई है कि आनु–स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़कर 1700 तक पहुंच गई है जिनमें से 1000 से अधिक संस्थान वर्ष 2000 के बाद जोड़े गए हैं। ऐसा अधिकांशतः प्रबंध स्नातकों और इस प्रकार प्रबंध शिक्षा की बराबर बढ़ती हुई मांग का लाभ उठाते हुए प्रोन्नायकों की उद्यमशील पहल के कारण संभव हो पाया है। दुर्भाग्यवश इसके फलस्वरूप एक शोषणात्मक और वाणिज्यिक वातावरण भी उभर कर आया है जिसमें गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है। अनुसंधान, योग्य संकाय तथा पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता की बजाय केवल भौतिक आधारिक–तंत्र पर विनियामक बल दिए जाने के फलस्वरूप आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल की स्थिति पैदा हो गई है।

अपनी परामर्शी प्रक्रिया के एक अंग के रूप में आयोग ने श्री पी. एम. सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों सहित एक कार्यकारी दल का गठन किया। सदस्यों के नामों की सूची इस पत्र के संलग्नक में दी गई है। कार्यकारी दल की जानकारियों और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर एनकेसी ने निम्न पहलों की सिफारिश की है:

## 1. नई विनियामक रूपरेखा

इस संबंध में एनकेसी इस क्षेत्र में एआईसीटीई द्वारा प्रयुक्त पूर्व–नियंत्रण की मौजूदा पद्धति की बजाय उत्तम अभिशासन का पक्षधर है। मौजूदा विनियामक व्यवस्था संस्थानों को पल्लवित करने की बजाय दंडात्मक कार्रवाई पर बल देती है। एनकेसी का विचार है कि उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के अधीन प्रबंध शिक्षा पर एक स्वायत्त स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति की मुख्य भूमिका यह होगी कि डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने की अनुमति देते समय वह समुचित अध्यवसाय का प्रयोग करें। ऐसा करते समय वह निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्रस्तावित संस्थान की शैक्षणिक विश्वसनीयता और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करेगी। यह समिति सरकारी और निजी संस्थानों के मामले में एकदम एक से मानदंड लागू करेगी ठीक उसी तरह जैसेकि वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मामले में लागू करती है। इसके अलावा यह समिति प्रत्यायन की देखभाल करने के लिए एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान करेगी। स्थायी समिति की अन्य जिम्मेदारियों में प्रबंध शैक्षिक निकायों (एमईई) संबंधी सूचना का मिलान और साथ ही संचार करना; सूचना विनिमय केन्द्र स्थापित करना; प्रबंधकीय जनशक्ति की मांग का पूर्वानुमान लगाना और कम लागत की ई–मानीटरन प्रणाली विकसित तथा बनाए रखना शामिल होगा।

## 2. संस्थानों का क्रम–निर्धारण

स्थायी समिति क्रम–निर्धारण मानदंड निर्धारित करेगी और एमईई का आकलन और उसका वर्गीकरण करने के लिए स्वतंत्र क्रम–निर्धारण एजेंसियों का नामांकन करेगी। बहुत बड़ी संख्या में उभरने वाले एमईई के कारण एक विश्वसनीय क्रम–निर्धारण पद्धति जरूरी हो गई है जिससे कि बाजार को बेहतर ढंग से काम करने, छात्रों और नियोक्ताओं को विभिन्न एमईई की तुलना करने में मदद की जा सके। इसलिए क्रम–निर्धारण की एक दो स्तरीय प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है। पहले स्तर पर इससे पूर्व कि एमईई छात्रों का दाखिला करे आधारिक–तंत्र को कवर करने वाला क्रम–निर्धारण अनिवार्य है। दूसरे स्तर पर गुणवत्ता (दाखिला प्रक्रिया, शिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन) का क्रम–निर्धारण किया जाएगा जोकि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर तीसरे साल में किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक उपाय के लिए क्रम–निर्धारण मानदंड विशेषज्ञों के परामर्श से स्थापित किए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया को लेकर सीआरआईएसएल और आईसीआरए के साथ परामर्श किया गया और उन्होंने एमईई का क्रम–निर्धारण करना स्वीकार कर लिया है। क्रम–निर्धारण करने वाली एजेंसी और एमईई के बीच विरोधी बिंदुओं का निपटारा करने के लिए स्थायी समिति एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र के बारे में निर्णय लेगी।

## 3. प्रत्यायन

ऐसे एमईई जोकि क्रम–निर्धारण से आगे जाना चाहते हैं, उनके मामले में स्थायी समिति शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों के परामर्श से प्रत्यायन के मानदंड और प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी। गुणवत्ता स्तर बनाए रखने में एमईई की मदद करने के लिए परामर्श इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। इसके अलावा चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायनों को मान्यता दी जा सकती है। एमईई को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते आईएसओ 9001 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भांति प्रत्यायन का ब्रैंडिंग करने पर विचार किया जा सकता है।

## 4. सुलभता में सुधार लाएं

सकारात्मक कार्रवाई का जो तंत्र पहले से मौजूद है उसके अलावा हम कार्य–अनुभव और शैक्षिक ऋणों के आधार पर सुलभता में सुधार लाने का सुझाव देते हैं। एनकेसी का यह

[1] इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुविध प्रकार के संस्थान प्रबंध शिक्षा प्रदान कर रहे हैं एमईई का प्रयोग सभी शैक्षिक संस्थानों; संस्थानों, विभागों, संबद्ध और स्वायत्त कालेजों, सम–विश्वविद्यालयों में विभागों, निजी बिजनेस स्कूलों आदि को कवर करने के लिए किया जाता है।

मानना है कि एक द्विमुखी दृष्टिकोण अपनाकर कहीं व्यापक छात्र समुदाय के लिए प्रबंध शिक्षा सुलभ कराई जा सकती है। पहले तो हम यह सुझाएंगे कि दाखिले में कार्य–अनुभव को अपेक्षतया अधिक भारिता प्रदान की जाए। ऐसा करने से अंग्रेजी में दक्षता की कमी के कारण भावी छात्रों को पेश आने वाली हानियों पर विजय पाने में मदद मिलेगी। दूसरे, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं कि बैंकों के माध्यम से शैक्षिक ऋणों की सहज सुलभता सुनिश्चित किए जाने के लिए उपाय किए जा सकें। चूक संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा सकता है यदि संबंधित एमईई और प्रथम नियोक्ता बैंकों के साथ सहयोग स्थापित करें। साथ ही एमईई को सामाजिक दृष्टि से सुविधाविहीन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां भी उपलब्ध करानी चाहिए।

## 5. सामाजिक संदर्भ

प्रबंध अध्ययन के क्षेत्र का विस्तार करना और इसकी प्रासंगिकता बढ़ाना जरूरी है।

- पाठ्यक्रम में भारत विशिष्ट मामला अध्ययनों को शामिल करके, हमारी विविधता परिलक्षित करके तथा परंपरागत बुद्धिमत्ता को शामिल करके प्रबंध शिक्षा को हमारी अनूठी सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति के प्रति संवेदीकृत किया जाना चाहिए।
- प्रबंध को ज्ञान के अन्य स्रोतों के साथ जोड़ें तथा प्रबंध और सहयोगी विषयक्षेत्रों के लिए अनुसंधान विषयक वित्तपोषण में बढ़ोतरी करें। वैश्वीकरण के चलते एक व्यापक कार्यक्षेत्र की टोह लेने और समाज के ऊपर अधिक समग्र प्रभाव प्राप्त करने की जरूरत पहले से अधिक हो गई है। इसलिए विश्वविद्यालयों में प्रबंध विभागों को अन्य विभागों में ज्ञान के स्रोतों का लाभ उठाना चाहिए।
- एमईई को सरकारी कार्मिकों, एनजीओ, रक्षा कार्मिकों के लिए कार्यकारी कार्यक्रम तैयार करने और उनकी पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- प्रबंध में मौजूदा स्नातक डिग्री, व्यापार प्रशासन में मौजूदा स्नातक डिग्री को चुस्त बनाएं जिससे कि प्रबंध स्नातकों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। संगठनों में अनिवार्य प्रशिक्षुता तथा अल्प–प्रबंधित क्षेत्रों का अध्ययन कार्यक्रम के एक अंग के रूप में शामिल किए जाने चाहिए। पाठ्यचर्या की मौजूदा किताबी प्रकृति कनिष्ठ प्रबंध स्तरों के लिए छात्रों को तैयार करने के निमित्त काफी नहीं है।
- इस क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा की पर्याप्त संभावना छिपी है। अतः हमें मांग–आपूर्ति के बीच के अंतरालों को पूरा करने के लिए आनलाइन प्रबंध कार्यक्रमों की क्षमता को पूरी तरह साकार करना चाहिए।

## 6. संकाय विकास

भारत में उत्तम प्रबंध शिक्षा की संधारणीय उन्नति के लिए उपयुक्त योग्य संकाय की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है। संकाय विकास के लिए शीर्षस्थ प्रबंध संस्थानों, उद्योग और सरकार के सक्रिय सहयोग से एक स्वायत्त, वित्तीय दृष्टि से मजबूत और शैक्षणिक दृष्टि से विश्वसनीय संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। समूचे स्पेक्ट्रम को समाहित करते हुए पाठ्यचर्या के लिए मानक निर्धारित किए जाने की जरूरत है। प्रशिक्षण, सम्मेलनों, उद्योग सहयोजन तथा पाठ्यचर्या संशोधन में एमईई संकाय को सक्रिय रूप से शामिल किए जाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मौजूदा मांग–आपूर्ति के बीच के अंतराल को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रोत्साहनों के जरिए अतिरिक्त संकाय को आकर्षित किए जाने की जरूरत है।

## 7. परामर्श

प्रबंध के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एनकेसी यह सिफारिश करता है कि सभी शीर्षस्थ प्रबंध संस्थानों को परामर्श तथा गुणवत्ता के स्तरोन्नयन के लिए 3–4 एमईई अपना लेने चाहिए। वित्तपोषण तथा अन्य प्रविधियों के बारे में संस्थानों के बीच पारस्परिक रूप से निर्णय लिए जा सकते हैं।

## 8. नए संस्थान

प्रबंध संस्थानों की एक नई लहर की जरूरत है जो उद्यमशीलता, नेतृत्व और नवाचार पर ध्यान केन्द्रित करेगी। ये संस्थान एक संरक्षित वातावरण में काम करने की बपौती से जुड़े बिना भारत को वैश्विक कार्यस्थल में उतारने की स्थिति में हो सकेंगे। ये संस्थान नए मानक स्थापित करेंगे और जो एमईई वैश्विक बाजार स्थल में नेता बनने के इच्छुक हैं उनकें लिए भूमिका प्रतिरूप बन जाएंगे। भारतीय उद्यमकर्ताओं/निगमित कार्यालयों को या तो स्वयं अपने बलबूते पर अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। साथ ही हम विख्यात विदेशी विश्वविद्यालयों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने पर विचार कर सकते हैं और उस स्थिति में उनके लिए विनियम वही होंगे जोकि निजी संस्थानों के लिए होते हैं।

## 9. स्वायत्तता

विश्वविद्यालयों में प्रबंध विभागों को छोड़कर सभी मौजूदा प्रबंध संस्थानों को आईआरएएचई की स्थायी समिति में पंजीकृत कराना चाहिए और उन्हें एक स्वतंत्र दर्जा दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा एमईई के मामले में सरकार को प्रोन्नायक के रूप में समझा जाना चाहिए। पंजीकृत संस्थान स्थायी समिति के परामर्श से तथा स्वायत्ता से जुड़े अन्य लाभों के अलावा वित्तपोषण के बेहतर अवसरों से लाभान्वित होंगे।

## 10. अधिकारिता

एनकेसी यह सिफारिश करता है कि सभी एमईई के लिए निदेशक मंडल होने चाहिए जिनमें 50 प्रतिशत स्वतंत्र सदस्य

होने चाहिए क्योंकि कंपनी विधि के अधीन स्वतंत्र निदेशक होते हैं। निदेशक मंडल का प्रमुख बल शिक्षा और अनुसंधान के स्तर में बराबर सुधार लाने पर रहना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उन्हें संसाधनों/निधि प्रवाहों को अधिकतम करना होगा तथा उन्हें सार्थक और प्रभावी रूप से आबंटित/खर्च करना होगा। इस मंडल को संकाय को विख्यात पत्रिकाओं और प्रकाशनों में लेख प्रकाशित करने, अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों से नियमित फीडबैक प्राप्त करने, गुणवत्ता सुधारने के लिए भर्ती करने वाले का फीडबैक प्राप्त करने, संकाय मूल्यांकन और प्रबंध प्रणाली का संस्थायन करने और संकाय को भारत आधारित मामला अध्ययन लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। सरकारी एमईई के निदेशक मंडलों की नियुक्ति सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए क्योंकि ये नियुक्तियां सर्वथा खोज प्रक्रियाओं और समकक्ष निर्णय पर आधारित होनी चाहिए। इसी प्रकार निजी एमईई के निदेशकों की नियुक्ति एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। निश्चय ही इसके साथ–साथ निष्पादन संकेतकों और स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकन पर आधारित संवर्द्धित जवाबदेही जोड़ी जाएगी।

## 11. गैर–परंपरागत प्रबंध शिक्षा

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, सहकारिताओं और सिविल समाज संगठनों तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में बेहतर प्रबंध की जरूरत अक्सर महसूस की जाती है। तथापि, भारतीय ग्रामीण प्रबंध संस्थान और वानिकी प्रबंध संस्थान के स्नातकों का अनुभव यह दर्शाता है कि सरकार में उन्नति के अवसरों की कमी इस तरह के कार्यक्रमों की सफलता के लिए एक बाधक बनी हुई है। सरकारी प्रबंध में कैरियर अवसर स्थापित किए जाने तथा भर्ती और अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने की नीतियों को व्यवस्थित किए जाने की जरूरत है। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए फीस की संरचना आय सृजक अवसरों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। साथ ही हमें लब्धप्रतिष्ठ एमईई को इन बातों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए: आने वाले वर्षों में कृषि–व्यापार, ग्रामीण बैंकिंग, सार्वजनिक उपयोगिताओं, विनियामक एजेंसियों और सेवा क्षेत्र के लिए विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करना क्योंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले निजी कर्ता इसके लिए मांग पैदा कर देंगे। स्थायी समिति को इन कार्यक्रमों का संस्थायन करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में एक अध्ययन करना चाहिए।